रजिस्टर्ड / सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-799 / 2018 / 1541 / 22-2-2018-17(127) / 2013

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी देशराज (बन्दी संख्या-9517) पुत्र श्री रामअधार, जो-निवासी** राहा, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है**,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-146 / 77** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302 / 149 एवं 307 / 149** के अधीन **दिनांक 11.09.1979** को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर द्वारा आजीवन कारावास के **दण्ड से दण्डित** किया गया, की शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि उक्त बंदी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये **जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-799 / 2018 / 1541(1) / 22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in